—

कार्यालय संचालक
जल सहायता संगठन, राज्य जल मिशन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0

क्रमांक 31 /संचा./ज.स.सं./रा.ज.मि./लो.स्वा.यां.वि./2013 भोपाल, दिनांक 24-9-2013

// आदेश //

जल सहायता संगठन, राज्य जल मिशन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0 में विज्ञापन क्रमांक जी–18395/13 के विरूद्ध चयनित उम्मीदवारों को **जिला स्तरीय सूचना शिक्षा एवं संचार तथा इक्विटी कंसल्टेंट** के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापना वाले जिले में एक वर्ष के लिए संविदा आधार पर मानदेय रू0 25000/– (रूपये पच्चीस हजार) मात्र प्रतिमाह पर नियुक्त किया जाता है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता /पति का नाम	पदस्थापना
1	प्रदीप रोकड़े	श्री रूपचन्द्र रोकड़े	धार
2	मंसाराम चौहान	श्री रूखदिया चौहान	अनूपपुर
3	धुलिया बमनिया	श्री सकरा बमनिया	झाबुआ
4	सुनील मुजल्दा	श्री गटटू सिंह मुजल्दा	सीधी
5	भीम सिंह डामोर	श्री शुक्लाजी डामोर	पन्ना
6	भीम सिंह सलामे	श्री गनराम सलामे	सिंगरौली
7	सुशीला मरावी	श्री गजराज सिंह मरावी	डिंडौरी
8	चेसली बरडे	श्री बाला बरडे	मंदसौर
9	सुशीला डुडवे	श्री बिलमन डुडवे	अलीराजपुर
10	मोनी बघेल	श्री कुंवर सिंह बघेल	हरदा

अभ्यर्थियों को **दिनांक 11.10.2013** तक निम्नांकित शर्तो के अनुरूप संबंधित जिले में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

संविदा की शर्ते :–

1. जिस जिले में नियुक्ति दी गई है, उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदाय फिटनेस प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के एक माह की अवधि में संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड को प्रस्तुत करना होगा।
2. **अनुबंध–संविदा** पर प्रथम नियुक्ति के समय नियुक्त अभ्यर्थियों को पदस्थापना जिले से सबंधित कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से 100 रू0 के नान–ज्युडिशियल स्टाम्प पर बांड निष्पादित करना होगा, जिसके निष्पादन पर होने वाला समस्त व्यय अभ्यर्थियों द्वारा वहन किया जावेगा। अनुबंध के पूर्व अभ्यर्थी को विज्ञापन अनुसार अर्हता,

1/-

जाति , जन्म तिथि एवं अनुभव सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियाँ एवं मूल दस्तावेज सम्बन्धित कार्यपालन यंत्री को अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना होगें। तदुपरांत विज्ञापन अनुसार योग्य पाये जाने पर ही अनुबंध सम्पादन की कार्यवाही की जावेगी तथा तदुपरांत अभ्यर्थी द्वारा अनुबंध की एक सत्यापित प्रति एवं पद ग्रहण करने की सूचना संचालक, जल सहायता संगठन, राज्य जल मिशन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल को भेजी जावेगी ।

3. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।
4. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/ जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को कोई भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
5. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों /कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार /व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
6. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होगें।
7. संगठन/विभाग द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश / संशोधन इस संविदा नियुक्ति पर भी लागू /बंधनकारी होगें।
8. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा।
9. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी के कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्त प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।
11. चयनित अभ्यर्थी उसकी पद स्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति, ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

12. अभ्यर्थी के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, व अनुभव संबंधी अन्य किसी भी शिकायत के जाँच उपरांत सत्य पाये जाने पर, विभाग / कार्यालय अभ्यर्थी को तत्काल अनुबंध समाप्त कर पद से पृथक किया जावेगा तथा अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा।
13. विवाद की स्थिति में विभाग / संगठन के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
14. **आकस्मिक अवकाशः–** संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। स्वीकृति का यह अधिकार संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री को होगा।
15. शासकीय नियमानुसार "बी" श्रेणी का यात्रा भत्ता देय होगा।
16. संविदा नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।
17. संविदा पर अभ्यर्थी को स्थायीकरण हेतु पात्रता नहीं है और वह भविष्य में नियमितीकरण / स्थाई करण संबंधी कोई दावा नहीं करेगा।
18. **दिनांक 11.10.2013** तक पदभार ग्रहण न करने की स्थिति में यह पदस्थता आदेश स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

संचालक
जल सहायता संगठन,
राज्य जल मिशन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सतपुड़ा भवन भोपाल

पृष्ठ. क्रमांक 316 / संचालक / ज.स.स. / रा.ज.मि. / 2013 भोपाल दिनांक 24-9-2013
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख अभियंता (सलाहकार) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य अभियंता (समस्त) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. अधीक्षण यंत्री (समस्त) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन यंत्री (समस्त) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
8. संबंधित श्री .... पिता का नाम श्री .... पता .... की ओर पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती ।
10. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

24/9/13
संचालक
जल सहायता संगठन,
राज्य जल मिशन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सतपुड़ा भवन भोपाल